अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या 19/2025
मो0 साबिर आलम उर्फ साबिर आलम
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–

श्री जियाऊल कमर एवं
पूजा कुमारी .... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
शहजाद हसन खान एवं
असलम अंसारी .... बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

मो0 साबिर आलम उर्फ साबिर आलम, पिता–अब्दुल हन्नान, ग्राम–सती घटा काशीपुर, पो0–सिंघिया, थाना+जिला–किशनगंज (अध्यक्ष, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल होदा, काशीपुर, पो0–बेलवा, थाना+जिला–किशनगंज, मदरसा सं0–430) ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 679, दिनांक 30.07.2025 को इस अपील में चुनौती दी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 02.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि अपीलार्थी की प्रबंध समिति को लगभग 80% स्थानीय लोगों का स्पष्ट समर्थन होने के बावजूद, मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रतिवादी की प्रबंध समिति को अवैध रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जबकि प्रतिवादी की प्रबंध समिति निजी रूप से गठित की गई है। उल्लेखनीय है कि मदरसा बोर्ड ने केवल प्रधान–मौलवी द्वारा दिए गए झूठे बयान के आधार पर उक्त अनुमोदन दिया है, जिन्होंने गलत भावना से यह कहा कि उन्होंने अपीलार्थी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि ग्रामवासियों ने भी पुष्टि की है कि प्रधान–मौलवी प्रबंध समिति के गठन हेतु आम–बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद बताया कि अपीलार्थी समिति के दान–दाता सदस्यों ने मदरसे के लिए भूमि दान की है, जबकि प्रतिवादी की समिति ने मदरसा परिसर के बाहर भूमि दान की है। प्रतिवादी प्रबंध समिति के अध्यक्ष पोषक क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति है। उक्त प्रश्नगत आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है, मनमाना, अवैध तथा क्षेत्राधिकार विहिन है, अतः इसे Stay किया जाए।

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 02.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि उक्त प्रबंध समिति का अनुमोदन नई नियमावली, 2022 के सुसंगत प्रावधानों के मद्देनजर दिया गया है तथा इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

निष्कर्षः— सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों को सुना। सुनने के उपरांत प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि यह अपील मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 679, दिनांक 30.07.2025 के विरूद्ध दायर की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 02.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि अपीलार्थी की प्रबंध समिति को लगभग 80% स्थानीय लोगों का स्पष्ट समर्थन होने के बावजूद, मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रतिवादी की प्रबंध समिति को अवैध रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जबकि प्रतिवादी की प्रबंध समिति निजी रूप से गठित की गई है। बोर्ड द्वारा दिया गया उक्त अनुमोदन प्रधान—मौलवी के दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित है।

प्रतिवादी सं0—5, 6 एवं 7 को अपीलीय प्राधिकार के पत्रांक 65, दिनांक 02.09.2025 द्वारा सुनवाई में उपस्थित होने एवं अपना पक्ष रखने हेतु सूचना भेजी गई थी, परंतु वे सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

उपरोक्त के आलोक में प्रतिवादी सं0—5, 6 एवं 7 द्वारा प्रति—शपथ पत्र दाखिल करने तक मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 679, दिनांक 30.07.2025 पर रोक (Stay) लगाई जाती है। इस अपील की सुनवाई की अगली तिथि 27.05.2026 को निर्धारित की जाती है।

ह0 / —
(विजय कुमार)
अपर सचिव—सह—अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......20......   दिनांक....07/04/2026

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष / सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना / मो0 साबिर आलम उर्फ साबिर आलम, पिता—अब्दुल हन्नान, ग्राम—सती घटा काशीपुर, पो0—सिंघिया, थाना+जिला—किशनगंज / रहमतुल्लाह, हेड मौलवी, मदरसा दारूल होदा, काशीपुर, पो0—बेलवा, थाना+जिला—किशनगंज (मदरसा सं0—430) / ऐनुल हक, अध्यक्ष, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल होदा, काशीपुर, पो0—बेलवा, थाना+जिला—किशनगंज (मदरसा सं0—430) / लाल मोहम्मद, सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल होदा, काशीपुर, पो0—बेलवा, थाना+जिला—किशनगंज (मदरसा सं0—430) / जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज / आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 7/4/2026
(विजय कुमार)
अपर सचिव—सह—अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।